

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1. अपील संख्या — 1808 / 2014 / जयपुर
2. अपील संख्या — 1809 / 2014 / जयपुर
3. अपील संख्या — 1810 / 2014 / जयपुर
4. अपील संख्या — 1811 / 2014 / जयपुर
5. अपील संख्या — 1812 / 2014 / जयपुर
6. अपील संख्या — 1813 / 2014 / जयपुर

मैसर्स कोटक महेन्द्रा प्राईम लि०,
वैशाली नगर, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी
प्रतिकरापवंचन प्रथम, वृत्त तृतीय, राज. जयपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री डी.कुमार, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

उप राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक : 13.08.2018

निर्णय

1. उपर्युक्त छः अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों दिनांक 01.08.2014 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान घट प्रथम, वृत्त तृतीय, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है।
2. इन सभी प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी बैंक के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 24.08.2012/06.09.2012 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन प्रथम वृत्त-तृतीय, राज. जयपुर द्वारा किया गया। जांच में पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 75(1) के तहत नोटिस जारी कर रिपजेस (Repossess) मोटर व्हीकल की बिक्री से सम्बन्धित दस्तावेज विवरण आदि पेश करने के निर्देश दिये। अपीलार्थी बैंक द्वारा सम्बन्धित यूज्ड मोटर व्हीकल की बिक्री का विवरण पेश किया गया, जिसके अवलोकन पर पाया गया कि व्यवहारी बैंक द्वारा ऋण किश्त चुकाने में दोषी ऋणी ग्राहकों के वाहनों को कानूनी कार्यवाही पश्चात ऋणी ग्राहकों के नाम से पूर्व पंजीकृत वाहन को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण व्यवहारी के स्वयं के नाम से परिवहन विभाग द्वारा करवाया जाता है एवं अपीलार्थी बैंक द्वारा नवीन पंजीकरण के लिए विहित फीस परिवहन विभाग में जमा कराई जाती है। इस प्रकार कब्जे में लिये गये पूर्व पंजीकृत वाहनों का नवीन पंजीकरण स्वयं के नाम से करवाने पर पूर्ण स्वामित्व स्वयं व्यवहारी का हो जाता है।

पूर्व- पंजीकृत वाहनों का स्वामित्व स्वयं के नाम करवाने के पश्चात व्यवहारी बैंक द्वारा अपने पूर्ण स्वामित्व में लिये गये वाहनों की बिक्री नीलामी/बोली के माध्यम से अधिकतम बोलीदाता को की जाती है। इस प्रकार प्रयुक्त वाहनों का विक्रय नये ग्राहकों को किये जाने के फलस्वरूप उनकी बिक्री करयोग्य है। अपीलार्थी बैंक द्वारा प्रयुक्त वाहनों की बिक्री पर वैट अदा नहीं किया जाकर कर का परिवर्जन/अपवंचन किया जाना पाया गया। उपायुक्त (प्रशासन) प्रतिकरापवंचन, राजस्थान जयपुर के द्वारा आदेश क्रमांक 595 दिनांक 07.05.2013 द्वारा उक्त अभियोग के साथ पत्रावली जांच अधिकारी से कर निर्धारण अधिकारी के यहां स्थानान्तरित की गयी। कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली के अवलोकन पर पाया कि व्यवहारी कम्पनी द्वारा यूज्ड मोटर व्हीकल का विक्रय किया जा रहा है। 1.4.2006 से दिनांक 10.10.2006 तक की अवधि में यूज्ड मोटर व्हीकल की बिक्री पर अधिनियम की अनुसूची चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 144 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से एवं दिनांक 11.10.2006 से दिनांक 08.03.2007 तक अनुसूची द्वितीय की प्रविष्टि संख्या 16 अधिसूचना क्रमांक 2005-97 दिनांक 11.10.2006 के अन्तर्गत 1 प्रतिशत की दर से करदेयता है। प्रयुक्त अन्य मोटर वाहनों पर अनुसूची 5 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2006 से 08.03.2007 तक 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता है। व्यवहारी बैंक द्वारा पूर्व पंजीकृत वाहन परिवहन विभाग से स्वयं के द्वारा पंजीकरण कराया जाकर नीलामी/बोली द्वारा अन्य क्रेताओं को यूज्ड मोटर व्हीकल का विक्रय किया गया है। व्यवहारी बैंक द्वारा विक्रय किये गये यूज्ड मोटर व्हीकल पर कर अदा नहीं किया गया है जबकि व्यवहारी बैंक कर योग्य यूज्ड मोटर व्हीकल की बिक्री पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कर चुकाने के लिए दायी है। इस प्रकार व्यवहारी बैंक द्वारा यूज्ड मोटर व्हीकल पर कर अदा नहीं करके, कर का अपवंचन किया गया, जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किये। व्यवहारी बैंक द्वारा प्रस्तुत जवाब को असंतोषजनक मानते हुए निम्न तालिकानुसार कर, ब्याज एवं शास्तियां आरोपित की। जिनसे व्यथित होकर, अपीलार्थी बैंक द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपने विस्तृत आदेश दिनांक 01.08.2014 को जारी किये जिनके विरुद्ध अपीलार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 83 के तहत यह अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिनका विवरण सारणी में दर्शाया गया है :-

अ. सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	वित्तीय वर्ष	कर	ब्याज	शास्ति
1808/14	322/अपी III/वेट	14.06.2013	07-08	42,000	28,980	84,000
1809/14	323/अपी III/वेट	14.06.2013	08-09	2,53,566	1,44,533	5,07,132
1810/14	324/अपी III/वेट	14.06.2013	09-10	1,26,016	56,760	2,52,032
1811/14	325/अपी III/वेट	14.06.2013	10-11	45,000	14,850	90,000
1812/14	326/अपी III/वेट	14.06.2013	11-12	42,000	8,820	84,000
1813/14	327/अपी III/वेट	14.06.2013	12-13	44,000	3,960	88,000

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कहा है कि अपीलार्थी व्यवहारी बैंकिंग नियामक अधिनियम 1949 के अन्तर्गत स्थापित एक बैंक है और अन्य बैंकिंग गतिविधियों के अतिरिक्त उपभोक्ताओं को वाहन क्रय करने हेतु ऋण प्रदान करती है। उपभोक्ता द्वारा वाहन अपने नाम से क्रय

किया जाता है। व्यवहारी द्वारा एक ऋण संविदा के तहत उपभोक्ता को वित्तीय सहायता दी जाती है। ऋण की प्रतिभूति के रूप में व्यवहारी वाहन मालिक से वाहन को 'हाइपोथिकेट' (Hypothicate) करता है। ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की किश्तों के भुगतान में दोषी हो जाता है तो व्यवहारी द्वारा अपने शेष ऋण की वसूली हेतु वाहन को अपने कब्जे में लेकर नीलामी/बोली के द्वारा बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में अपीलार्थी बैंक द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिफल प्राप्त नहीं किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान व्यवहारी कभी भी वाहन का स्वामी नहीं बनता और हाइपोथिकेट एग्रीमेन्ट के अनुसार व्यवहारी बैंक वाहन स्वामी की ओर से वाहन को बेचता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 2(35) के तहत उक्त वाहनों की बिक्री विक्रय की परिभाषा में नहीं आती, क्योंकि वस्तु का स्थानान्तरण किसी भी प्रकार के नगद या आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिये नहीं होता है। वाहन का विक्रय व्यवहारी बैंक द्वारा ऋण प्राप्तकर्ता की ओर से इस प्रकार किया जाता है कि उसे वाहनों का अधिकतम मूल्य प्राप्त हो तथा यह सभी संव्यवहार व्यवहारी बैंक की नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज है, जिस पर धारा 25/26 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही गैर कानूनी व विधिविरुद्ध है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि व्यवहारी बैंक का उद्देश्य इस कार्य हेतु लाभ कमाना नहीं है बल्कि ऋणी द्वारा वाहन पैसे जो ऋण लिया जाता है उसकी अदायगी समय पर नहीं करने पर ऋण की वसूली हेतु व्यवहारी बैंक द्वारा विधिनुसार वाहन को जब्त कर उसको विक्रय कर ऋण की भरपायी की जाती है तथा विक्रय में यदि अधिक राशि प्राप्त होती है तो वह राशि ऋणी को अदा कर दी जाती है। इस प्रकार व्यवहारी बैंक का विक्रय के पीछे उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि अपने ऋण की भरपायी करना है जो विक्रय की परिभाषा में नहीं आता है। व्यवहारी के अधिवक्ता ने विकल्प में यह भी तर्क दिया कि यदि उक्त पुराने वाहनों के विक्रय पर व्यवहारी पर जो कर लगाया है उसकी कर बोर्ड द्वारा यदि पुष्टि की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो शास्ति लगायी गई है उसे माफ किया जावे क्योंकि उक्त वाहनों की बिक्री कर योग्य है या नहीं, इसकी जानकारी व्यवहारी बैंक को नहीं थी तथा व्यवहारी बैंक का आशय कर चोरी करने का नहीं था। ऐसी स्थिति में शास्ति को माफ किया जावे तथा आई.टी.सी. भी व्यवहारी को दिलवायी जावे। व्यवहारी बैंक के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी बैंक द्वारा प्लेज्डगुड्स की बिक्री नहीं की गई है ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त फेडरल बैंक लि० बनाम केरला राज्य का कोई विपरीत निष्कर्ष व्यवहारी बैंक के विरुद्ध नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने मै० सुन्दरम फाईनेंस लि० बनाम केरला राज्य के निर्णय में मोटर व्हीकल के ऋण में उसकी वसूली को विक्रय नहीं माना है। अतः अपीलार्थी बैंक की अपीलें स्वीकार की जावे तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त किया जावे। अपीलार्थी बैंक के अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:-

- 1- State of Panjab v/s Bajaj Electricals (1970) 25 STC Page 82(SC)
- 2- G. Venkataswami Naidu v/s CIT (1959) 35 ITR 594 (SC)
- 3- M/s T.V.S. Finance Ltd. Tirupati v/s State of Andhra Pradesh TA No.948/08
- 4-N.S.S. Enterprises v/s The State of Punjab and Anr.(2010) 30 VST 244 Panjab& Hyryana
- 5-Xcell Automation v/s Government of Punjab& Anr (2007) 5 VST 308 (P&H)
- 6- Hindustan Steel Ltd. v/s State of Orissa (1970) AIR 253 (SC)
- 7- ABY Engineers and Consultants(p)Ltd.,v/sSales Tax Officer Orderdt.5.3.2010 (HEKERALA)

६

8-Associated Cement Compny Ltd. v/s CTO, Kota(1981) 48 STC 466(SC)

9-North Malabar District Co-operative Supply and Markting Society Ltd. v/s Asstt. Commissioner& Ors. (1998) 111 STC 271 (Kerla)

6. इसके विपरीत प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलें अस्वीकार करने की प्रार्थना की तथा विभाग के अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि आई.टी.सी. प्राप्त करने के बाबत जो नियम बने हुए है उसकी परिधि में अपीलार्थी बैंक नहीं आता है। अतः आई.टी.सी. स्वीकार नहीं की जा सकती तथा व्यवहारी द्वारा कर की चोरी की गई है, इस कारण शास्ति आरोपित की गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आर्थिक अपराध के मामलों में आपराधिक आशय नहीं देखा जाता है। कर अदा करने का दीवानी दायित्व व्यवहारी का था लेकिन व्यवहारी ने कर की चोरी करने के आशय से कर योग्य बिक्री पर कर अदा नहीं कर, कर की चोरी की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुन्दरम फाईनेंस लि० में जो निर्णय दिया है उसके तथ्य अलग है इस कारण उसका फायदा व्यवहारी बैंक को नहीं मिलता है, बल्कि मै० फेडरल बैंक लि० के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय हस्तगत प्रकरण में पूर्णतया लागू होता है। अतः अपीलार्थी बैंक की अपीलें खारिज की जावें।

7. दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया व अपीलार्थी के अधिवक्ता की ओर से की गई बहस, लिखित बहस का एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। इस प्रकरणों के सही निस्तारण के लिये कुछ परिभाषाओं का यहां उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(i) राजस्थान वेट एक्ट, 2003 की धारा-2(6) व्यवसाय-व्यापारिक कारोबार को इस अधिनियम में व्यवसाय कहा गया है और इसमें व्यापार, वाणिज्य, निर्माण कार्य भी शामिल माने जाएंगे। (ए) ऐसा उपक्रम (एडवेन्चर) या व्यापार वाणिज्य या निर्माण कार्य जैसी गतिविधियों/कार्यों से सम्बन्ध रखने वाला कार्य जो लाभ के उद्देश्य से अथवा लाभ के उद्देश्य के बिना सम्पन्न करता हो ऐसे सभी कार्य व्यवसाय कहलाएंगे और ऐसी गतिविधियों से सम्बन्धित समस्त संव्यवहार/लेन देन चाहे वे नियमित हो या आकस्मिक, चाहे वे मात्रा, बारम्बारता, नियमितता में कितने भी हो, ऐसे उपक्रम/संस्था के आरम्भिक हो या बन्द करते समय के, सभी इस परिभाषा में शामिल माने जाएंगे।

(ii) धारा-2(15) माल (Goods): समाचार पत्रों, मुद्रा(मनी), वादयोग्य दावे(एक्सनेबल क्लेम), शेयर्स-सिक्योरिटीज-स्टॉक्स को छोड़कर सभी चल-सम्पत्तियां, चाहे सम्पत्तियां, माल, चीजे, वस्तुएं जो किसी भी रूप में कार्य-संविदा (वर्क्स-कॉन्ट्रैक्ट) में काम ली जाती हो, पशुधन तथा अन्य ऐसी सभी वस्तुएं जो भूमि से जुड़ी हो या भूमि का भाग हो और जिन्हें बेचने से पूर्व अलग करने का अनुबंध कर लिया गया हो वे सभी माल कहलायेगी।

(iii) धारा-2(17) आगत कर (Input Tax) : पंजीकृत व्यवहारी द्वारा अपने व्यवसाय के क्रम में पंजीकृत व्यवहारी से खरीदे गए माल पर चुकाया गया अथवा चुकाए जाने योग्य कर आगत कर (इनपुट टेक्स) कहलाएगा।

(iv) धारा 2-(40) कर योग्य व्यापारावर्त (Taxable Turnover): सकल व्यापारावर्त (Total turnover) में से विधिनुसार कटौतियों घटाने के पश्चात व्यापारावर्त का वह भाग जिस पर व्यवहारी की इस अधिनियम के अधीन कर देयता है, कर योग्य-व्यापारावर्त कहलाएगा।

लगातार.....5

(v) धारा -2(41) व्यापारावर्त (Turnover): माल का ऐसा सकल बिक्री-मूल्य (Sale price) जो व्यवहारी को प्राप्त हुआ हो या प्राप्त होने योग्य हो और जिसमें धारा 4(2) के अधीन कर-योग्य माल का क्रय मूल्य भी शामिल हो, व्यापारावर्त कहलाएगा।

(vi) राज्य में से अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) पर कर (Tax on maximum retail price) चुका कर खरीदे गए अथवा पहले से ही एम.आर.पी. पर कर चुका कर खरीदा हुआ माल पुनः खरीदा गया हो, ये दोनों ही प्रकार से खरीदे गए माल का पूर्णतः या अंशतः भाग व्यापारावर्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

8. राजस्थान वेट अधिनियम के अनुसार क्या अपीलार्थी बैंक डीलर की परिभाषा में आता है या नहीं यह हमें देखना है। राजस्थान वेट अधिनियम, 2003 की धारा 2(11) निम्नानुसार है:-

व्यवहारी (Dealer) से आशय ऐसी व्यक्ति से है जो माल को खरीदने, बेचने, सप्लाई या वितरण करने का कार्य करता हो- ऐसा व्यक्ति चाहे स्वयं हो अथवा उसका एजेन्ट या अन्य किसी भी हैसियत वाला, सभी इस परिभाषा में शामिल माने जाएंगे।

निम्नलिखित कार्य करने वाले व्यक्ति/संस्थान/उपक्रम/कार्यालय भी इस परिभाषा में शामिल माने जाएंगे-

(ए) धारा 2(35) में वर्णित की गई खरीद या बिक्री करने वाला व्यक्ति जो अपने लिए माल खरीद बिक्री करे या किसी अन्य के लिए, चाहे कमीशन या नकद या अन्य किसी रूप में मूल्यवान प्रतिफल प्राप्ति के लिए करे,

(बी) दलाल, कमीशन, एजेन्ट, डेलक्रेडर एजेन्ट, फैक्टर या अन्य किसी भी नाम से पुकारे जाने वाले व्यवसायिक प्रतिनिधि जो किसी भी घोषित या अघोषित माल मालिक (प्रिन्सिपल) की ओर से माल को खरीदने बेचने, सप्लाई या वितरण करने का कार्य करता हो,

(सी) नीलामकर्ता जो किसी भी घोषित या अघोषित माल मालिक(प्रिन्सिपल) की ओर से माल की नीलामी करता है चाहे ऐसी नीलामी के लिए बोली किसी माल मालिक अथवा उसके किसी प्रतिनिधि ने ही लगाई हो व जिसे नीलामकर्ता ने स्वीकार किया हो,

(डी) किसी अनिवासी व्यवहारी (नॉन रेजीडेन्ट डीलर) की ओर से राज्य में माल को खरीदने, बेचने, सप्लाई या वितरण करने का कार्य करने वाला एजेन्ट या मैनेजर,

(ई) कोई सोसाइटी, क्लब, ट्रस्ट या इसी प्रकार के संगठन जो किसी विधान के अंतर्गत निगमित हो अथवा नहीं, यदि अपने सदस्यों को माल बेचते हो या अपने सदस्यों से माल खरीदते हो,

(एफ) आकस्मिक व्यवहारी

(जी) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार अथवा उनका कोई विभाग या कार्यालय जो माल को खरीदने, बेचने, सप्लाई या वितरण करने का कार्य करता हो, ऐसा कार्य वो अपनी किसी व्यावसायिक गतिविधि के कारण अथवा बिना व्यावसायिक गतिविधि के कारण अथवा बिना व्यावसायिक गतिविधि के करता हो और चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता हो और कमीशन या नकद या अन्य किसी रूप में मूल्यवान प्रतिफल प्राप्ति के लिए करता हो,

(एच) बैंक, इन्श्योरेन्स कम्पनी, ट्रान्सपोर्ट कम्पनी और इसी प्रकार का कोई उपक्रम/संस्थान जो माल को खरीदने, बेचने, सप्लाई या वितरण करने का कार्य करता हो, ऐसा कार्य वो अपनी किसी व्यावसायिक गतिविधि के कारण अथवा बिना व्यावसायिक गतिविधि के करता हो और चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करता हो और कमीशन या नकद या अन्य किसी रूप में मूल्यवान प्रतिफल प्राप्ति के लिए करता हो,

स्पष्टीकरण- ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान टैनेन्सी एक्ट, 1955 के अनुसार स्वयं भूस्वामी हो या किसी भूमि में उसका हित हो और ऐसी भूमि में स्वयं द्वारा उपजाई हुई कृषि/बागवानी उपज बिक्री करता हो तो वह इस परिभाषा के अनुसार व्यवहारी नहीं माना जाएगा।

9. इस प्रकार उक्त परिभाषा को देखने से स्पष्ट है कि व्यवहारी बैंक भी रा.मू.प.क.अ. 2003 की धारा 2(35) में परिभाषित विक्रय संव्यवहारों के लिए किसी भी प्रकार से कर देयता से मुक्त नहीं है तथा उक्त अधिनियम के अनुसार यदि संव्यवहार के दौरान व्यवहारी बैंक पर किसी प्रकार की कर देयता बनती है तो उसके द्वारा विधिनुसार विहित कर दर से कर संदत किया जायेगा तथा राजस्थान वेट एक्ट, 2003 की धारा 2(11) के अंतर्गत ऐसी वितीय संस्थाओं को धारा 2(35) में परिभाषित विक्रय संव्यवहारों के लिए व्यवहारी माना जायेगा।

10. अब यह देखना है कि व्यवहारी बैंक द्वारा किया गया वाहनों का विक्रय राजस्थान वेट एक्ट, 2003 की धारा 2(35) के अन्तर्गत विक्रय की श्रेणी में आता है या नहीं। इस हेतु राजस्थान वेट एक्ट, 2003 की धारा 2(35) में जो विक्रय की परिभाषा दी गई है, वह निम्न प्रकार है :-

बिक्री (Sale)/विक्रय: सभी व्याकरणीय स्वरूपों व अंतर्निहित अर्थों सहित (शामिल करते हुए) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हुआ सम्पत्ति का अन्तरण /हस्तान्तरण जो नकद, आस्थगित भुगतान (डिफर्ड पैमेन्ट) या अन्य किसी मूल्यावान प्रतिफल के बदल हो, बिक्री कहलाएगा और इसमें,

(ए) किसी अनुबंध की पालना के सिवाय माल के रूप में सम्पत्ति का अन्तरण जो नगद, आस्थगित भुगतान (डिफर्ड पैमेन्ट) या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले हो,

(सी) हायर-परवेज या किशतों में भुगतान के किसी भी रूप में माल की सुपुर्दगी (डिलीवरी),

(डी) किसी माल के प्रयोग का अधिकार किसी भी उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अन्तरित होने पर, ऐसा अनुबन्ध/समझौता/ व्यवस्था किसी विशिष्ट अवधि के लिए/बिना अवधि का एवं कमीशन या नकद ,आस्थगित भुगतान (डिफर्ड पैमेन्ट) या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले हो,

(ई) किसी विधान के अंतर्गत निगमित न हुए संगठन या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने सदस्यों को माल की सप्लाई जो नकद, आस्थगित भुगतान (डिफर्ड पैमेन्ट) या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले हो,

(एफ) माल की ऐसी सप्लाई जो किसी सेवा (सर्विस) या उसका किसी भी प्रकार का कोई भाग हो जो भोजन (फूड) या मानवीय उपभोग की कोई अन्य वस्तु या पेय पदार्थ, चाहे मादक पेय हो अथवा नहीं, और जो नकद, आस्थगित भुगतान (डिफर्ड पैमेन्ट) या अन्य किसी मूल्यवान प्रतिफल के बदले हो।

11. अपीलार्थी बैंक द्वारा यूज्ड वाहनों का जो विक्रय किया गया है, वह बिक्री की परिभाषा में आता है या नहीं, इसके लिए अपीलार्थी बैंक द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन निम्न प्रकार से है। जब कोई ग्राहक नया वाहन लेने हेतु अपीलार्थी बैंक के यहां आवेदन करता है तो अपीलार्थी बैंक द्वारा वाहनों के पेटे ऋण प्राप्तकर्ता को जो ऋण दिया जाता है, उस ऋण बाबत ऋण प्राप्तकर्ता के वाहनों को अपीलार्थी बैंक द्वारा हाइपोथिकेट कर लिया जाता है। इस प्रकार हाइपोथिकेटेड वाहन का वास्तविक कब्जा ग्राहक के पास होता है, परन्तु उसका अनन्य कब्जा ऋण प्रदाता का रहता है अर्थात्

ऋण प्राप्तकर्ता ग्राहक के पास ऋण का कब्जा अपीलार्थी की ओर से अपीलार्थी के अधीन होता है। इस प्रकार एक प्रकार से वाहनों पर स्वामित्व ऋण प्रदाता का ही माना जाता है तथा यदि ऋणी द्वारा ऋण की किश्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऋण प्रदाता द्वारा विधिनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाकर, वाहनों का कब्जा प्राप्त कर लिया जाता है। यहां यह उल्लेख करना उचित समझा जाता है कि कई बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा जब ऋण दिया जाता है तब से ही वे ऋणी के द्वारा यदि किश्ते नहीं चुकायी जायेगी तो ऐसी स्थिति में अपने ऋण की सुरक्षा हेतु ऋण देते वक्त ही उक्त वाहन के विक्रय से संबंधित खाली फार्म नं. 29 व 30 पर ऋणी के हस्ताक्षर अग्रिम रूप से करवा लिये जाते हैं तथा ऋणी द्वारा समय पर किश्ते नहीं चुकाये जाने पर ऋणी की ओर से उक्त खाली फार्म नं. 29 व 30 के आधार पर ऋणी की ओर से ही उक्त वाहनों का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया जाता है तथा ऐसे विक्रय से जो राशि प्राप्त होती है उसमें से बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने द्वारा दिये गये ऋण की भरपायी कर ली जाती है। दूसरी प्रक्रिया यह अपनायी जाती है कि ऋण की अदायगी नहीं करने पर बैंक/वित्तीय संस्था जिसने ऋण दिया वो उन वाहनों को विधिनुसार कब्जे में लेकर जिला परिवहन अधिकारी के यहां पुराने रजिस्ट्रेशन को निरस्त करवा कर, अपने नाम उक्त वाहन का रजिस्ट्रेशन करवा लेती है तत्पश्चात वाहनों का विक्रय कर अपने ऋण की भरपायी कर लेती है। इन प्रकरणों में सर्वे के पश्चात जॉच अधिकारी द्वारा यह पाया गया कि ऋणी द्वारा समय पर ऋण की किश्तों का भुगतान नहीं करने के कारण जिन वाहनों पर ऋण दिया था, उन वाहनों को अपीलार्थी बैंक द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था। मोटर व्हीकल अधिनियम, 1988 की धारा 51 में हाइपोथिकेशन द्वारा क्रय किये गये वाहन के संबंध में विशेष प्रावधान किये गये हैं कि जहां पर ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की किश्ते नहीं चुकाता वहां पर ऋण प्रदाता सीधे ही अपने नाम से नया रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है और वे सीधे ही वाहन का स्वामी बन कर इसी अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत ऐसे वाहन का विक्रय किसी अन्य व्यक्ति को करके, उसके नाम रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाता है। इन प्रकरणों में जांच से कर निर्धारण अधिकारी ने यह पाया गया कि अपीलार्थी बैंक द्वारा कब्जे में लिये गये वाहनों का पंजीकरण अपने नाम करवाने के लिए निर्धारित फीस जमा करवायी गयी, तत्पश्चात असल ऋणी की जगह अपीलार्थी के नाम से वाहनों का पंजीकरण कर दिया गया। इस प्रकार वाहन का पूर्ण स्वामित्व अपीलार्थी का हो गया। अपीलार्थी द्वारा कब्जे में लिये गये वाहनों का बेचान मूल्यवान प्रतिफल (राशि) प्राप्त कर किया गया। इस प्रकार पुनः विक्रय की कार्यवाही अपीलार्थी द्वारा की गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी ने मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर, अपने कब्जे में लिये गये वाहनों का विक्रय नहीं किया गया हो, यह अपीलार्थी का तर्क मानने योग्य नहीं है। अपीलार्थी की ओर से तर्क रहा है कि वाहन के विक्रय के परिणाम स्वरूप जो ज्यादा राशि प्राप्त होती है वह ऋणी को अदा कर दी जाती है। इस कारण लाभ प्राप्ति के लिए विक्रय नहीं किया जाता है लेकिन हमारे मतानुसार व्यवहारी बैंक द्वारा वाहनों के विक्रय से प्राप्त राशि/प्रतिफल का उपयोग किस रूप में किया जाता है, यह विवादित नहीं है तथा विक्रय का उद्देश्य या विक्रय से प्राप्त राशि का विनियोजन विक्रय के भार पर ओर करदेयता पर कोई प्रभाव नहीं डालते है। बैंक प्रावधान 2(11) के अनुसार एक डीलर भी है, प्राप्त प्रतिफल का उपयोग किसी भी रूप यथा किसी दूसरे व्यक्ति को ऋण देना, सब्सिडी देने, ऋण प्राप्तकर्ता के खाते में राशि जमा कराने में किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी इस आधार पर वाहन के विक्रय संव्यवहारों पर करदेयता के दायित्वों से मुक्त

नहीं हो जाता है। व्यवहारी द्वारा यूज्ड मोटर व्हीकल का विक्रय किया है और राजस्थान वेट अधिनियम के प्रावधानों के तहत यूज्ड मोटर व्हीकल पर करदेयता है तथा राजस्थान वेट अधिनियम के तहत डीलर की जो परिभाषा दी गई है उसके तहत अपीलार्थी भी डीलर की परिभाषा में आता है तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाहनों को कब्जे में लेकर निर्धारित फीस जमा करवा कर, अपने नाम वाहन पंजीकृत करवा कर, पुनः प्रतिफल के बदले वाहनों को किसी अन्य को विक्रय कर ऐसे क्रेता के नाम से वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी व्यवहारी कं० द्वारा किया गया कृत्य विक्रय की परिभाषा में आता है। इस कारण राजस्थान वेट अधिनियम के तहत अपीलार्थी व्यवहारी बैंक कर चुकाने के लिये दायी है।

12. अपीलार्थी व्यवहारी बैंक के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह तर्क किया कि अपीलार्थी द्वारा यूज्ड वाहनों का जो विक्रय किया गया है वह विक्रय व्यवसाय/व्यापार नहीं है बल्कि अपनी ऋण की भरपायी के लिये किया गया है। श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त (वैट एवं आई.टी.) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर के द्वारा आदेश अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 36 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2012 से प्रमाणित है कि अपीलार्थी व्यवहारी कम्पनी का वैट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कर देय बनता है। उक्त आदेश के निर्णायक अंश इस प्रकार है :-

"In the applicant's case the seller is the applicant i.e the bank because the vehicles remained hypothecated in the name of bank since its purchase. In case of state Bank of India Vs. Shah ali (AIR 1995 AP 134) the Hon'ble High Court of Andhra pradesh has decided that the hypothecated goods are not only constructive but actually in possession of the bank. therefore, since the purchase of the vehicle the possession of the bank remains on the said vehicle. The vehicle is being sold by the bank and not by the borrower and while doing so bank cannot be treated as an agent of the borrower because the vehicle is not being sold on the instance of the borrower and the property in goods never belongs to the borrowers. Therefore, the parties in such sale are the bank and the prospective buyer. thus, there is no doubt that the sale being made by the bank of the hypothecated / attached vehicle is the sale by bank hence bank is liable to pay tax.

Therefore the answer, to the question is that :-

1. That the applicant bank is a dealer;
2. The sale is being effected by the applicant bank;
3. The applicant bank is liable to pay tax under the provisions of RVAT Act, 2003

Considering the judgment of supreme Court in Federal Bank Ltd. Vs. State of Kerala (2007) 6 VST 736 (SC); (2007) 4 SCC 188 and west Bengal Taxation Tribunal in ICICI Bank Ltd. Vs. joint Commissioner, sales Tax, Central Section KolKata and others 2010 NTN (Vol.44) 368 and also the opinion given by the State level Department Committee, it is determined that the vehicle is being sold by the bank and not by the borrower because the vehicle is not being sold at the instance of the borrower and the property in goods never

लगातार.....9

belongs to the borrower. therefore the parties to such a sale are the bank and the prospective buyer. Thus, there is no doubt that the sale of the hypothecated / attached vehicle is being made by the bank, hence the bank is liable to pay tax.

Therefore, the applicant bank is liable to pay tax under the provisions of RVAT Act, 2003"

13. इस प्रकार उक्त निर्णय को देखते हुए अपीलार्थी का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है तथा उक्त न्यायिक दृष्टान्त हाइपोथेटिक वाहनों पर भी लागू होता है।

14. अपीलार्थी की ओर से माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त (1966) 17 एस.टी.सी. पेज 489 सुन्दरम फाईनेंस लि० बनाम केरल राज्य व अन्य जो निर्णय फेडरल बैंक लि० व अन्य से पहले का है, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि :-

"We are accordingly of the view that the intention of the appellants in obtaining the higher purchase and the allied agreements was to secure the returned of loan advanced to their customers, and No real sale of the vehicle was intended by the customer to the appellant."

15. इस प्रकार उक्त न्यायिक दृष्टान्त में उक्त केस से अपीलार्थी द्वारा कोई वास्तविक बिक्री नहीं की गई थी लेकिन हस्तगत प्रकरणों में जांच से कर निर्धारण अधिकारी ने यह पाया है कि ऋण की भरपायी नहीं होने पर, अपीलार्थी द्वारा ऋणी से वाहन अपने कब्जे में लेकर वाहन का रजिस्ट्रेशन अपने नाम करवा कर, पुनः वाहन को प्रतिफल के बदले बेचा है तथा क्रेता के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस कारण उक्त केस के तथ्य इन प्रकरणों के तथ्य से भिन्न होने के कारण व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त फेडरल बैंक लि० व अन्य में प्रतिपादित सिद्धान्त के आधार पर सुन्दरम फाईनेंस लि० के निर्णय का, अपीलार्थी बैंक को कोई फायदा नहीं मिलता है।

16. 2010 NTN (Vol.44)-368 [WEST BENGAL TAXATION TRIBUNAL]

ICICI bank Ltd. v/s Joint commissioner, sales tax, central section Kolkata and others में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि -

"Dealer - definition scope of - banking companies as well as non-Banking finance companies are dealer under section 2(11)-banking companies as well as non banking finance companies are dealers under section 2(11) of West Bengal Value Added tax 2003 and are liable to pay tax on the sale of hypothecated goods/vehicles for satisfaction of claims under the Hypothecation Agreement.

Whether banking companies/Non banking companies are dealer under section 2(11) of west Bengal value added tax 2003 and liable to tax when have sold the pledged goods though for satisfaction of their claim"

17. अपीलार्थी राजस्थान वेट अधिनियम के तहत डीलर कि परिभाषा में नहीं आने तथा यूज्ड वाहनों का पुनः विक्रय, बिक्री की परिभाषा में नहीं आने सम्बन्धित बिन्दु बाबत अपीलार्थी कं० के अधिवक्ता ने जो अन्य न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं उनके तथ्य इन प्रकरणों के तथ्य से भिन्न होने के कारण व माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त फेडरल बैंक लि० के निर्णय को देखते हुए भी अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का फायदा अपीलार्थी व्यवहारी बैंक को नहीं मिलता है। अतः करदेयता के साथ-साथ ब्याज आरोपण भी विधिक है।

18. जहां तक आई.टी.सी. का प्रश्न है राजस्थान वेट नियम, 2006 के नियम 18 आगत कर के संबंध में है लेकिन उक्त नियम के अन्तर्गत जो शर्तें हैं उन शर्तों की पालना अपीलार्थी बैंक द्वारा नहीं की गई है तथा अपीलार्थी बैंक द्वारा ऋण की वसूली पेटे ऋणी से वाहन कब्जे में लिया गया था। मूल रूप से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ऋण देते वक्त वाहनों को अपने नाम से नहीं खरीदा गया था। अपीलार्थी बैंक के अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया कि अपीलार्थी बैंक ने अपने ऋण की वसूली के लिए वाहन का विक्रय

किया था, इस कारण उस पर करदेयता बनती हो, इस तथ्य की जानकारी अपीलार्थी बैंक को नहीं थी तथा अपीलार्थी की कर चोरी की मंशा नहीं थी इस कारण अपीलार्थी पर जो शास्ति लगायी गयी है उसे निरस्त किया जावे। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2007) 10 वीएसटी 535(राज.) लॉर्ड वेंकटेश्वर केटरर्स बनाम सीटीओ में यह अभिनिर्धारित किया है कि —**All Transaction dully recorded in books of account- no mala fide intention of not paying tax-Mere rejection of explanation of assessee as not acceptable does not attract penalty-**

19. विक्रय राशियों को विवरणियों में नहीं दर्शाने पर शास्तियां आरोपण का प्रश्न है, इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158, सीटीओ बनाम कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन एवं कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील संख्या 1320/2013/सिरोही सीटीओ बनाम बिनानी सीमेंट लि० निर्णय दिनांक 26.06.2014 तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम स्टेट ऑफ केरला 7 वीएसटी 621 माननीय केरला उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त के अनुरूप जबकि व्यवहारी बैंक के समस्त संव्यवहार उनके लेखा पुस्तकों में दर्ज किये हैं,

20. शास्ति के बिन्दु पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय (2009) 23 वीएसटी 249 श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, टैक्स अपडेट वोल्यूम 43 पार्ट 4 पेज 158 का संक्षिप्त उल्लेख निम्नानुसार है:—

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellant's account books, where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers' turnovers disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands set aside."

अतः माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था के आलोक में आरोपित शास्तियों को अपास्त किया जाना विधिक प्रतीत होता है। अतः शास्तियों के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के निर्णय को इस सीमा तक अस्वीकार किया जाता है।

उक्त प्रकरणों की स्थिति, परिस्थिति व तथ्य माननीय राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर द्वारा अपील संख्या 2197/2013 से 2202/2013/जयपुर मै. आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रतिकरापवचन प्रथम जयपुर खण्डपीठ निर्णय दिनांक 20.12.2016 में दिये गये निर्णयों से पूर्णतः आच्छादित है।

21. फलतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर एवं कर बोर्ड द्वारा ऐसे प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के परिपेक्ष्य में अपीलार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत छः अपीलें कर एवं ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार की जाती हैं तथा शास्तियों के बिन्दु पर स्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य